



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29944

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4014 वर्ष 2026

अरविन्द कुमार राय और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवब्रत यादव, राम प्रताप यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

"(i) न्याय के बेहतर हित में, एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो जिलाधिकारी गाजीपुर को निर्देशित करे कि वे ग्राम अलालाबाद, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर में स्थित भूखंड संख्या 2367(एम), क्षेत्रफल 0.0325 हेक्टेयर के संबंध में भौतिक विभाजन के विवाद को हल करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के प्रावधानों को लागू करके सीमांकन की कार्यवाही शुरू करें और जब तक इस विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं के भूखंड के हिस्से के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।"

2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।

4. तदनुसार, रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है।

11 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"